रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-जी.जे.-अ.-22072024-255623
CG-GJ-E-22072024-255623

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 535] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 18, 2024/आषाढ 27, 1946
No. 535] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 18, 2024/ASHADHA 27, 1946

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण

अधिसूचना

गांधीनगर, 12 जुलाई, 2024

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (भुगतान और निपटान प्रणालियों के विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए बोर्ड) विनियम, 2024

आईएफएससीए/जीएन/2024/005.—अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 (2019 का 50) की धारा 12 की उप-धारा (1) और धारा 13 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 28 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए; भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (2007 का 51) की धारा 3 की उप-धारा (2) और धारा 38 की उप-धारा (2) के खंड (क) के साथ पठित उप-धारा (1) के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:

संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ

1. (1) इन विनियमों को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (भुगतान और निपटान प्रणालियों के विनियमन और पर्यवेक्षण बोर्ड) विनियम, 2024 कहा जाएगा।

(2) वे आधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

परिभाषाएँ

2. (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इसमें परिभाषित शब्दों का अर्थ वही होगा जो उन्हें नीचे दिया गया है, और उनके सजातीय अभिव्यक्तियों का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा -

क. “अधिनियम” भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (2007 का 51) से अभिप्रेत है;

ख. “प्राधिकरण” अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 (2019 का 50) की धारा 4 की उपधारा (1) के अंतर्गत स्थापित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण से अभिप्रेत है;

ग. “बोर्ड” प्राधिकरण के सदस्यों की समिति से अभिप्रेत है, जिसे अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 2 के अंतर्गत गठित भुगतान और निपटान प्रणालियों के विनियमन और पर्यवेक्षण बोर्ड के नाम से जाना जाता है;

घ. “सदस्य” बोर्ड के सदस्य से अभिप्रेत है;

ड. “अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र” का वही अर्थ होगा जो अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 (2019 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (जी) में दिया गया है;

(2) इन विनियमों में प्रयुक्त और परिभाषित नहीं किए गए लेकिन अधिनियम या भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) या अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 (2019 का 50) या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या विनियमन में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो क्रमशः उन अधिनियमों, नियमों या विनियमों या उनमें किसी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन, जैसा भी मामला हो में दिया गया है,।

बोर्ड की संरचना

3. (1) प्राधिकरण के सदस्यों की एक समिति होगी जिसे भुगतान और निपटान प्रणालियों के विनियमन और पर्यवेक्षण बोर्ड के नाम से जाना जाएगा

(2) बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे, नामतः:

क. प्राधिकरण का अध्यक्ष जो बोर्ड का अध्यक्ष होगा;

ख. प्राधिकरण के पूर्णकालिक सदस्य;

ग. प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामित प्राधिकरण के अधिक से अधिक तीन सदस्य।

(3) प्राधिकरण का अध्यक्ष प्राधिकरण के पूर्णकालिक सदस्य को बोर्ड का उपाध्यक्ष नामित करेगा।

बोर्ड के कर्तव्य, शक्तियां और कार्य

4. (1) अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, बोर्ड प्राधिकरण द्वारा उसे दी गई शक्तियों का प्रयोग करेगा, कार्य करेगा और कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, जिसमें अधिनियम के अधीन अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में भुगतान प्रणालियों के विनियमन और पर्यवेक्षण के संबंध में शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है।

(2) विशेष रूप से और पूर्वगामी प्रावधानों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बोर्ड की शक्तियों और कार्यों में निम्नलिखित मामले शामिल होंगे, अर्थात्: -

क. अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में लेनदेन को प्रभावित करने वाली इलेक्ट्रॉनिक, गैर-इलेक्ट्रॉनिक, और देशीय और सीमा पार भुगतान प्रणालियों सहित भुगतान प्रणालियों के विनियमन और पर्यवेक्षण से संबंधित नीतियों का निर्धारण;

ख. भुगतान प्रणालियों के लिए मानक निर्धारित करना;

ग. भुगतान प्रणालियों का प्राधिकरण;

घ. भुगतान प्रणालियों की सदस्यता के लिए मानदंडों का निर्धारण जिसमें सदस्यता की निरंतरता, समाप्ति और निरस्तीकरण शामिल है;

ङ. प्राधिकरण द्वारा भुगतान प्रणालियों के प्रचालकों और प्रणाली प्रतिभागियों को समय-समय पर जारी किए गए निदेर्शों सहित उपरोक्त मामलों के प्रयोजनों के लिए अधिनियम के अधीन

तैयार किए गए विनियमों और दिशानिदेशों के प्रशासन की देखरेख करना, इसके अतिरिक्त अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक समझी जाने वाली कार्रवाई करना;

च. भुगतान प्रणालियों के प्रभावी विनियमन और पर्यवेक्षण को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक प्रशासनिक ढांचे की सिफारिश करना;

छ. उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा और भुगतान प्रणालियों की समग्र सुरक्षा और सुदृढ़ता;

ज. ऐसे अन्य मामले जो भुगतान प्रणालियों के प्रभावी विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए आवश्यक समझे जाएं।

बोर्ड को सहायता

5. प्राधिकरण इन विनियमों में निर्धारित सभी या किसी भी प्रयोजन के लिए बोर्ड को संसाधनों सहित आवश्यक सहायता प्रदान करेगा।

पद रिक्त होना

6. अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) के खंड (ग) के अधीन नामित कोई सदस्य, यदि अध्यक्ष की अनुमति के बिना बोर्ड की लगातार तीन बैठकों से अनुपस्थित रहता है, तो वह पद पर बना नहीं रहेगा।

बोर्ड की ओर से किसके द्वारा शक्तियों का प्रयोग किया जाना है:-

7. बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग निम्नलिखित व्यक्तियों द्वारा नीचे उल्लिखित सीमा तक किया जा सकता है:-

(क) अध्यक्ष और उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष भी सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं तथा सभी कार्य और चीजें कर सकते हैं, जिनका प्रयोग या निष्पादन बोर्ड द्वारा किया जाता है;

(ख) अध्यक्ष, खंड (क) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, बोर्ड के कार्यों के कुशल प्रशासन के लिए, इन विनियमों के अधीन आदेश में निर्दिष्ट शर्तों और सीमाओं, यदि कोई हों, के अध्यधीन उपाध्यक्ष या सदस्य को, अध्यक्ष द्वारा प्रयोग की जाने वाली कोई भी शक्ति, जिसे अध्यक्ष आवश्यक समझे, प्रत्यायोजित कर सकता है।

बोर्ड की बैठकें और कोरम

8. (1) बोर्ड अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर यथा-निर्धारित तरीके से आमतौर पर तीन महीने में कम से कम एक बार बैठक करेगा।

(2) बैठकों में भाग लेने के लिए सदस्यों को पर्याप्त सूचना दी जाएगी।

(3) बोर्ड की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम तीन सदस्यों का होगा और इसमें अध्यक्ष और विनियमन 3 के उप-विनियम (2) के खंड (सी) के अधीन नामित कम से कम एक सदस्य शामिल होगा।

(4) इन विनियमों में अन्यथा प्रदान किए गए को छोड़कर, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (प्राधिकरण बैठकों के लिए प्रक्रिया) विनियम, 2020 के प्रावधान, बोर्ड की बैठकों पर समान रूप से लागू होंगे।

उप-समितियों और सलाहकार समितियों का गठन

9. (1) बोर्ड अपने कार्यों के निष्पादन में सहायता या सलाह प्रदान करने के लिए उप-समितियों या सलाहकार समितियों का गठन कर सकता है, जैसा कि इसके अनुसार हो सकता है।

के. राजारामन, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./300/2024-25]

INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES CENTRES AUTHORITY

NOTIFICATION

Gandhinagar, the 12th July, 2024

International Financial Services Centres Authority (Board for Regulation and Supervision of Payment and Settlement Systems) Regulations, 2024

IFSCA/GN/2024/005.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 28 read with sub-section (1) of section 12 and sub-section (1) of section 13 of the International Financial Services Centres Authority Act, 2019 (50 of 2019); read with sub-section (2) of section 3 and sub-section (1) read with clause (a) of sub- section (2) of section 38 of the Payment and Settlement Systems Act, 2007(51 of 2007), the International Financial Services Centres Authority hereby makes the following regulations, namely:

Short title and commencement

1. (1) These regulations may be called the International Financial Services Centres Authority (Board for Regulation and Supervision of Payment and Settlement Systems) Regulations, 2024.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

Definitions

2. (1) In these regulations, unless the context otherwise requires, the terms defined herein shall bear the meanings as assigned to them below, and their cognate expressions shall be construed accordingly –

   a. "Act" means the Payment and Settlement Systems Act, 2007 (51 of 2007);

   b. "Authority" means the International Financial Services Centres Authority established under sub-section (1) of section 4 of the International Financial Services Centres Authority Act, 2019 (50 of 2019);

   c. "Board" means the committee of the members of the Authority known as the Board for Regulation and Supervision of Payment and Settlement Systems constituted under sub-section 2 of section 3 of the Act;

   d. "Member" means a member of the Board;

   e. "International Financial Services Centre" shall have the meaning assigned to it in clause (g) of sub-section (1) of section 3 of the International Financial Services Centres Authority Act, 2019 (50 of 2019);

   (2) Words and expressions used and not defined in these regulations but defined in the Act or the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) or the International Financial Services Centres Authority Act, 2019 (50 of 2019) or any rules or regulations made thereunder shall have the same meanings respectively assigned to them in those Acts, rules or regulations or any statutory modification or re-enactment thereto, as the case may be.

Composition of the Board

3. (1) There shall be a committee of the members of the Authority to be known as Board for Regulation and Supervision of Payment and Settlement Systems.

   (2) The Board shall consist of the following Members, namely:

   a. Chairperson of the Authority who shall be the Chairperson of the Board;

   b. Whole Time Members of the Authority;

   c. Not more than three Members of the Authority nominated by the Chairperson of the Authority.

   (3) The Chairperson of the Authority shall designate a Whole Time Member of the Authority as the Vice-Chairperson of the Board

Duties, powers and function of the Board

4.(1) Subject to the provisions of the Act, the Board shall exercise the powers, perform the functions and discharge the duties accorded on it by the Authority, including but not limited to, in relation to the regulation and supervision of the payment systems in the International Financial Services Centres under the Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing provisions, the powers and functions of the Board shall include the following matters, namely: -

a. the laying down of the policies relating to the regulation and supervision of the payment systems including electronic, non-electronic, domestic and cross-border payment systems affecting transactions in International Financial Services Centres;

b. the laying down of the standards for payment systems;

c. the authorisation of the payment systems;

d. the determination of the criteria for membership of the payment systems including continuation, termination and rejection of membership;

e. overseeing the administration of regulations and guidelines framed under the Act for the purposes of the above matters including the directions issued by the Authority from time to time to the operators and system participants of the payment systems besides taking such action as may be deemed necessary for ensuring the compliance;

f. recommending necessary administrative structure for ensuring effective regulation and supervision of the payment systems;

g. safeguarding and protecting the interests of consumers and overall safety and soundness of the payment systems;

h. such other matters as are deemed necessary for the effective regulation and supervision of payment systems.

Assistance to the Board

5. The Authority shall provide necessary assistance, including resources to the Board for all or any of the purposes set out in these regulations.

Vacation of Office

6. A Member nominated under clause (c) of sub-section (3) of section 3 of the Act shall cease to hold office if he absents himself from three consecutive meetings of the Board, without the leave of the Chairperson.

Powers on behalf of the Board by whom to be exercised: -

7. The powers of the Board may be exercised by the following persons to the extent mentioned hereunder: -

(a) The Chairperson and in his absence the Vice-Chairperson may also exercise all powers and do all acts and things, which may be exercised or done by the Board;

(b) Without prejudice to the provisions of clause (a), the Chairperson may, by general or special order, delegate to a Vice-Chairperson or Member, subject to such conditions and limitations, if any, as may be specified in the order, any powers exercisable by the Chairperson under these regulations, as the Chairperson may deem necessary, for the efficient administration of the functions of the Board.

Meetings of the Board and Quorum

8. (1) The Board shall ordinarily meet at least once in three months in such manner as may be decided by the Chairperson from time to time.

(2) Members shall be given sufficient notice to enable them to attend the meetings.

(3) The quorum for holding a meeting of the Board shall be three Members and shall include the Chairperson and at least one Member nominated under clause (c) of sub-regulation (2) of regulation 3.

(4) Save as otherwise provided in these regulations, the provisions of International Financial Services Centres Authority (Procedure for Authority Meetings) Regulations, 2020 shall, *pari-materia*, apply to the meetings of the Board.

Constitution of Sub-Committees and Advisory Committees

9. (1) The Board may constitute Sub-Committees or Advisory Committees for providing assistance or advice in the performance of its functions, as may be considered necessary from time to time.

(2) A Sub-Committee or Advisory Committee shall have power to invite persons with experience in the field of Payment and Settlement Systems to attend the meetings of that Committee.

Report to the Authority

10. The Board shall submit a report on its functioning to the Authority on a quarterly basis.

K. RAJARAMAN, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./300/2024-25]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2024.07.22 12:09:15 +05'30'